II-157
C.J.

Witness No. **03** For **अभियोजन साक्षी** Deposition taken the **12.11.2025** day of **बुधवार** Witness's apparent age **47 साल**

States on affirmation **शपथपूर्वक** my name is **टीकम सिंह साव**

son of **श्री झनक राम साव** occupation **प्र.आर. क्र. 21**

address **पता- चौकी फगुरम, थाना डभरा, जिला- सक्ती, छत्तीसगढ़**

Case No. **614/2022**

समय **03.19** बजे

राज्य द्वारा श्री इन्द्रनील कांत उंजन ए.डी.पी.ओ.-

01. मैं वर्ष 2022 से वर्ष 2023 तक चौकी फगुरम में प्रधान आरक्षक के पद पदस्थ था। मेरी पदस्थपना के दौरान दिनांक 30-08-2022 को मैं हमराह स्टाप के साथ देहात भ्रमण में पेट्रोलिंग एवं जुर्म जरायम के लिए रवाना हुआ था कि मुखबीर सूचना मिला कि सोन बरसा खरसिया रायगढ की रहने वाली आरोपिया मधु बंजारे के द्वारा ग्राम कुलबा नहर के पास हाथ भट्टी महुआ शराब बिक्री हेतु ग्राहकों का इंतजार कर रही थी, उक्त मुखबीर सूचना से गवाहों का अवगत कराकर मेरे द्वारा गवाहो को रेड कार्यवाही में सम्मिलित होने हेतु धारा 160 द.प्र.सं. का नोटिस दिया गया था, जो प्र.पी. 01 है, जिसके स से स भाग पर मेरे हस्ताक्षर है।

02. उक्त सूचना पर हमराह स्टाफ महिला आरक्षक क्र. 955 प्रतिभा मिरी, आरक्षक क्र. 687 परमजीत रात्रे एवं गवाह श्रवण एवं श्याम घटना स्थल पहुंच कर रेड कार्यवाही कर घेराबंदी किया गया, जिस पर अभियुक्ता के कब्जे से एक पीले रंग के 05 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक जरीकेन में भरी 03 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद किया गया।

03. उक्त तलाशी पश्चात शराब रखने एवं बिक्री के संबंध में अभियुक्ता को धारा 91 द.प्र.सं. का नोटिस दिया गया था, जिस पर अभियुक्ता द्वारा "मेरे पास कोई वैध कागजात नहीं है" लिख कर दिया गया था। धारा 91 द.प्र.सं. का नोटिस प्र.पी. 06 है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे व ब से ब भाग पर अभियुक्ता का हस्ताक्षर है।

04. अभियुक्ता द्वारा शराब रखने एवं बेचने के संबंध में कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं करने पर गवाहों के समक्ष एक पीले रंग के 05 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक जरीकेन में भरी 03 लीटर कच्ची महुआ शराब को मेरे द्वारा जप्त किया गया है। जप्ती पत्रक प्र.पी. 02 है, जिसके स से स भाग पर मेरे तथा द से द भाग पर आरोपिया के हस्ताक्षर है।

05. मेरे द्वारा दिनांक 30.08.2022 समय 16.10 बजे ग्राम कुलबा नहर पार में अभियुक्ता की विधिवत गिरफ्तारी की गयी। गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी. 03 है, जिसके स से स भाग पर मेरे तथा द से द भाग पर आरोपिया के हस्ताक्षर है। अपराध जमानतीय होने के कारण अभियुक्ता को जमानत मुचलका पर छोडा गया।

06. मेरे द्वारा चौकी फगुरम, थाना डभरा का अपराध क्र. 0/2022 धारा 34(1)क आबकारी अधिनियम के तहत अभियुक्ता के विरुद्ध प्रथम सूचना पत्र तैयार किया गया था, जो प्र.पी. 07 है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे एवं ब से ब भाग पर अभियुक्ता का हस्ताक्षर है।

07. थाना डभरा में अभियुक्ता के विरुद्ध थाना डभरा के अपराध क्र. 339/2022 धारा 34(1)क आबकारी अधिनियम के तहत प्रथम सूचना पत्र तैयार किया गया, जो प्र.पी. 08 है, जिसके अ से अ भाग पर सहायक उपनिरीक्षक विरेन्द्र मनहर के हस्ताक्षर है, जिसे मैं उनके हस्ताक्षर को पहचानता हूॅ और ब से ब भाग पर आरक्षक क्र. 427 अभिनाश देवांगन के हस्ताक्षर है, उसके भी हस्ताक्षर को पहचानता हूॅ।

08. मेरे द्वारा दिनांक 31.08.2022 को थाना के अपराध क्र. 339/2022 धारा 34(1)क आबकारी अधिनियम के प्रकरण में जप्तशुदा शराब का परीक्षण कर रिपोर्ट प्रदाय करने बाबत का आवेदन पत्र आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त डभरा, जिला जांजगीर–चाम्पा (छ.ग.) को मेरे द्वारा दिया गया था, जो प्र.पी. 09 है, जिसके अ से अ भाग पर मेरा हस्ताक्षर है। प्रकरण में रोजनामचा सान्हा की रवानगी वापसी संलग्न किया गया है।

09. मेरे द्वारा प्रकरण में गवाह श्रवण एवं श्याम का कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया गया। तत्पश्चात संपूर्ण विवेचना पश्चात न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री घनश्याम साहू अधिवक्ता वास्ते अभियुक्ता</u>**<u>:-</u>**

10. यह कहना सही है कि मैं किस वाहन से देहात भ्रमण हेतु पेट्रोलिंग के लिये रवाना हुआ था उस वाहन का नाम उल्लेख नहीं किया गया है। यह कहना सही है कि हम लोग पट्रोलिंग के दौरान कितने किस वाहन से गये थे उसका उल्लेख नहीं किया गया है। मैं पेटोलिंग के दौरान कुलबा नहर पार गया था, उसके अलावा अन्य कही नहीं गया था। यह कहना सही है कि मैने प्रकरण में नजरी नक्शा तैयार कर संलग्न नहीं किया गया है। यह कहना गलत है कि मुखबीर सूचना पंचनामा मैं थाना में बैठ कर तैयार किया गया है।

11. यह कहना सही है कि प्लास्टिक जरीकेन किस कम्पनी था उसका उल्लेख नहीं किया गया है। यह कहना सही है कि प्रकरण में जप्तशुदा द्रव की जांच हेतु मैने भेजा था, उसमें जांच की मात्रा जो की गयी थी का उल्लेख मेरे द्वारा प्रेषित जांच आवेदन में उल्लेखित नहीं किया गया है। यह कहना सही है कि जप्तशुदा द्रव के संबंध में जप्ती पत्रक सील नमूना का उल्लेख नहीं

Witness No. ..... Description Sheet No. ..... Case No. .....

किया गया है। यह कहना गलत है कि मैने गवाहों का बयान उनके बताये अनुसार लेखबद्ध नहीं किया है।

साक्ष्य समाप्ति समय 03.48 पी.एम.

गवाह को बयान पढ़कर सुनाया सही होना स्वीकार किया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही/-
(स्मिता श्रीवास्तव सिन्हा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, डभरा
जिला-जाँजगीर चाँपा (छ.ग.)

.....
.....

सही/-
(स्मिता श्रीवास्तव सिन्हा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, डभरा
जिला-जाँजगीर चाँपा (छ.ग.)